कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

-: कार्यालय आदेश :-

मैं नीरज कुमार मित्तल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश 3937-3979 दिनांक 29.10.2026 में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न अवकाशों के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड ड्युटी हेतु पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकार से अधिकृत करता हूं।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	सुश्री दीपिका कचोलिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, उत्तर, कोटा	दिनांक 09.11.2026, 10.11.2026 व 11.11.2026 के स्थान पर दिनांक 12.11.2026, 13.11.2026 व 14.11.2026 के लिए
02	श्री पूरवर्द्धन सिंह	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआईएक्ट केसेज क्रम-2, कोटा	दिनांक 12.11.2026, 13.11.2026 व 14.11.2026 के स्थान पर दिनांक 09.11.2026, 10.11.2026 व 11.11.2026 के लिए

नोट:-

1. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
2. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्युटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
3. अन्य निर्देश पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 3424-3466 दिनांक 01.09.2026 के अनुसार यथावत रहेंगे।

03/11/2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राजस्थान)

क्रमांक: 4052 - 4061 दिनांक: 03-11-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
2. संबंधित अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, उत्तर कोटा
3. संबंधित अधिकारी विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआईएक्ट केसेज क्रम-2, कोटा
4. पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
5. सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
7. जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
8. नॉडल आफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा
9. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय कोटा
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्डस

03/11/2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राजस्थान)